कार्यालय जनपद न्यायाधीश, आगरा।
(प्रशासनिक अनुभाग)

विज्ञप्ति

वर्तमान में जनपद न्यायालय, आगरा में एन0आई0 एक्ट 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत वादों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय का सृजन शासनादेश संख्या–2022/674/सात–न्याय–2–2022–173जी/2015 दिनांकित 04.08.2022 के द्वारा किया गया है। उक्त न्यायालय हेतु कुल 07 पद 1. वैयक्तिक सहायक, रीडर, मुंसरिम, सूट क्लर्क, मिसलेनियस क्लर्क, अर्दली व चपरासी के सृजित किए गए हैं जिन्हें संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों से भरा जाना है। उक्त पदों के लिए नियुक्ति दिनांक 23.02.2023 तक (इससे पूर्व उक्त पदों को समाप्त न कर दिया जाए) के लिए की जानी है।

उक्त सातों पदों का वेतनमान संबंधित पद पर आवेदक को मिलने वाले अंतिम आहरित वेतन (माइनस) पेंशन की राशि (राशिकरण से पूर्व) देय होगा। 05 वर्ष से पूर्व तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी आवेदन करने के पात्र होंगे।

आवेदक अपना आवेदन दिनांक 15.09.2022 की सायं 04:30 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

(रवि कान्त)
अध्यक्ष, चयन समिति/
अपर जिला जज, न्यायालय संख्या–04
आगरा।

दिनांक : 05.09.2022

प्रतिलिपि :–

1. विशेष कार्याधिकारी (कम्प्यूटर) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाए कि वे उपरोक्त विज्ञप्ति को माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
2. प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, आगरा।
3. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि वे उपरोक्त विज्ञप्ति को जिला न्यायालय, आगरा की बेवसाईट पर अपलोड कराएं।
4. जिला सूचना अधिकारी, आगरा को दैनिक जागरण, उमर उजाला, दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराए जाने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय, आगरा व जिलाधिकारी कार्यालय, आगरा।

अध्यक्ष, चयन समिति/
अपर जिला जज, न्यायालय संख्या–04
आगरा।

दिनांक : 05.09.2022